राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आवन्दा

दिनांक 23/9/15 को पेश हो।

27.9.15 पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी उपस्थित न्यायालय नहीं होने व प्रतिवादी व वकील वादी को बार-बार रुक रुक कर आवाज लगवाई परन्तु बावजूद आवाज लगवाने के उपस्थित नहीं होने पर वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल हुक्म होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाबा, अभिलेख दाखिल हो। लिखित खुले न्यायालय में हुक्म सुनाया गया।

M.L. 27.9.15

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ़

राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार – 2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस.
कैम्प ग्राम पंचायत बडवासी

जस्व वाद संख्या 107/2016
बूलाल पुत्र बचनाराम जाति दरोगा निवासी बडवासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
–वादी

बनाम

1. विनोदकंवर पुत्री बचनाराम जाति दरोगा निवासी ग्राम बडवासी
2. संतोष पुत्र बचनाराम जाति दरोगा निवासी ग्राम बडवासी
3. उप पंजियक उप पंजियन शाखा नवलगढ जिला झुन्झुनू
4. तहसीलदार (भूमि धारक) जरिये राजस्थान सरकार तहसील नवलगढ
5. शाखा प्रबंधक शेखावाटी ग्रामीण बंक शाखा बडवासी तहसील नवलगढ

–प्रतिवादीगण

दावाः खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
प्राथमिक–निर्णय

निर्णय तिथि 06.06.2018

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बडवासी की सरहद में भूमि ख.न. 347/0.60, 417/1.09 किता 2 कुल रकबा 1.69 है0 अवस्थित है जिसको वाद में विवादित काश्त की जमीन के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। वादी का अपने हक व हिस्से की जमीन पर कब्जा व काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 के मध्य विधिवत बंटवारा तरीके से नही हुआ है। वादी उपरोक्त वर्णित काश्त की जमीन में सहकाश्तकार है अतः वादी अपने हक व हिस्से की जमीन का विधिवत बंटवारा करवाने का हकदार है। वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 बचनाराम के पुत्र पुत्री हैं। उपरोक्त जमीन का विधिवत तरीके से बंटवारा करने के लिये वादी द्वारा प्रतिवादी को कहा तो प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने वादी को विवादित जमीन का विधिवत तरीके से बंटवारा राजस्व कैम्प में करवालेने बाबत कहा। परन्तु प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने दिनांक 10.05.16 को वादी को ऐलानिया धमकी दी कि हम शामलाती जमीन को खुर्द बुर्द करेंगे तथा भूमि का विक्रय करेंगे व हरे पेड काटेंगें। प्रतिवादीगण अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गये तो वादी के हक अधिक़ारों पर कुठाराघात होगा। इसलिये प्रतिवादी नं. 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वादी का वाद बहक खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम बडवासी की सरहद में भूमि ख.न. 347/0.60, 417/1.09 किता 2 कुल रकबा 1.69 है0 का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करके वादी को 1/3 हिस्से की भूमि का अलग से खाता कायम किया जाकर अलग से सीमा व लगान कायम की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी नं. 4 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी नं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजन नही होने तक किसी भी विशिष्ट भू भाग पर कब्जा न करें खुर्द बुर्द न करें विक्रय न करें किसी सरकारी व गैरसरकारी ऋण संस्था से ऋण प्राप्त न करें ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य व्यक्ति से करावें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया। तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की और से श्री सुरेश कुमार सैनी का वकालतनामा पेश हुआ। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत बडवासी में पेश हुई। प्रतिवादी नं. 2 उपस्थित शिविर होकर वाद वादी स्वीकार किया गया तथा वाद को प्राथमिक रूप से स्वीकार करने में कोई एतराज नही होना जाहिर किया गया। अतः उपस्थित पक्षकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम बडवासी संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि ख.न. 347/0.60, 417/1.09 किता 2 कुल रकबा 1.69 है0 की खातेदारी बाबूलाल संतोष विनोदकंवर पिता बचना हि.ब.हि. जाति दरोगा सा.देह खातेदार राहिन शे.ग्रा.बैंक शाखा बडवासी मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त रिकार्ड से वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण नं. 1व 2 की अविभाजित शामलाती खातेदारी की होना साबित है। प्रतिवादी नं. 2 ने स्वयं उपस्थित शिवर होकर वाद को प्राथमिक रूप से विभाजन हेतु सहमति प्रदान की है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम बडवासी की भूमि ख.न. 347/0.60, 417/1.09 किता 2 कुल रकबा 1.69 है0 का वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 प्रत्येक 1/3, 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से की भूमि का किसी प्रकार का विक्रय आदि नही करे तथा भूमि को खुर्द बुर्द नही करे। तदनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मजमे शिविर सुनाया गया। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.06.2018 को पेश हो।

06/6/18

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner